

एकलपीठ फौजदारी पुनरीक्षण याचिका संख्या-666/2014  
(भेरुलाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

---:: आ दे श ::---

(भेरुलाल व अन्य)

बनाम

(राजस्थान राज्य व अन्य)

एकल पीठ फौजदारी पुनरीक्षण याचिका संख्या- 666/2014

\* \* \* \* \*

आदेश दिनांक :

**14 जुलाई, 2014**

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री प्रदीप शाह।  
लोक अभियोजक श्री दीपक चौधरी।

न्यायालय द्वारा :-

यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान् सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा सेशन प्रकरण सं. 10/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.4.2014, जिसके तहत याची अभियुक्तगण भेरुलाल व कालू के विरुद्ध धारा 306 भा.दं.सं. का आरोप विरचित कर सुनाया गया के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता याचीगण का तर्क रहा कि

विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 306 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित करने के क्रम में अबेटमेंट के कानूनी प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा कि पत्रावली पर परिवादिया लेहरी बाई एवं गवाहान की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है कि किसी प्रकार की दुष्प्रेरण वर्तमान याचीगण द्वारा किया गया हो। उनका यह भी कथन रहा कि अधिक से अधिक अभियोजन पक्ष की कहानी को यथावत माना जावे तो यही कहा जा सकता है कि जो प्रस्ताव मरने के बाबत मृतक ने याचीगण की उपस्थिति में रखा हो, उस क्रम में उनकी ओर से मात्र उक्त कृत्य करने में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं की गई लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का उकसावा नहीं कहा जा सकता। योग्य अधिवक्ता याचीगण की ओर से अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांत पेश किए गए-

1. Cr.L. Reporter 1994 (Raj.) 249 Manish Kumar Sharma V.S. State or Raj.,
2. S.C.C. 2005 (Cr.) 543 Netai Dutta V.S. West Bengal,
3. S.C.C. (Cr.) 2010 (3) 1048 Madan Mohan Singh V.S State of Gujarat.

योग्य लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया।

**सत्यमेव जयते**  
दोनों पक्षों को सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार श्रीमती लेहरी बाई परिवादिया है, जिसके अनुसार याचीगण द्वारा मृतक के साथ झगड़ा करने एवं मृतक द्वारा याचीगण के समक्ष कुए में

कूदने बाबत जो तथ्य प्रकट किए गए हैं, उन तथ्यों के क्रम में मृतक कुए में कुद गया। ऐसी स्थिति में याचीगण की ओर से मृतक को कुए में कूदने के क्रम में उत्प्रेरित करने के क्रम में किसी प्रकार का अबेटमेंट किया गया हो, इस क्रम में तथ्यों को देखा जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आरोप विरचित किए जाने के क्रम में किसी प्रकार का हवाला दिया जाना प्रकट नहीं होता है।

**परिणामतः** उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा आरोप के क्रम में पारित आदेश दिनांक 11.4.2014 को मात्र पुनः बहस आरोप सुनने की रोशनी की हद तक इस निर्देश के साथ अपास्त किया जाता है कि विचारण न्यायालय उपरोक्त विनिश्चयों की रोशनी में अबेटमेंट के कानूनी प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए दोनों पक्षों को सुनकर आरोपित अपराध के क्रम में पर्याप्त तथ्यों व आधारों का उल्लेख करते हुए पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना आरोप बाबत पुनः आदेश पारित करे। तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित होता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)  
न्यायाधिपति

**सत्यमेव जयते**